

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-689/2021/8-3099/91/2019
लखनऊ : दिनांक : 02 जून, 2021

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार नगरों की महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स में संशोधन जैसा कि नीचे अनुसूची में अंकित है, करना चाहती है, के संबंध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना दैनिक समाचार पत्रों "हिन्दुस्तान" एवं "अमर उजाला" के संस्करण में दिनांक 12.01.2021 को प्रकाशित करायी गयी थी, और चूँकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कुल 2 आपत्तियाँ एवं सुझाव आवास बन्धु के माध्यम से शासन को प्राप्त हुये हैं तथा प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निस्तारित किया गया है।

अतएव, अब उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम)-1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन 1973) की धारा-13 की उपधारा(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय प्रदेश के नगरों की प्रभावी महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स में निम्नवत् संशोधन किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करती हैं :-

(1) भू-उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएं के अन्तर्गत 'औद्योगिक' शीर्षक के अधीन एक नयी उपश्रेणी "उ.प्र. वेयर हाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018" (यथासंशोधित) में निम्नवत् परिभाषित लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक इकाइयों को सम्मिलित किया जाना :-

1. लॉजिस्टिक्स पार्क-

प्रदेश में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर विकसित किये जाने वाला लॉजिस्टिक्स पार्क, जिसमें कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) तथा/अथवा अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो (आईसीडी) तथा/अथवा एयर फ्रेट स्टेशन तथा/अथवा वेयरहाउसिंग तथा/ अथवा कोल्ड चेन्स एवं सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित हों, इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। इस प्रकार के पार्क में निम्न सेवायें एवं अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित होंगी:-

- **लॉजिस्टिक्स सेवायें**-पार्क की आवश्यकताओं के अनुसार कार्गो एग्रीगेशन/सेग्रीगेशन, वितरण, सामग्री एवं कन्टेनर के इन्टर-मॉडल ट्रांसफर, चालू तथा बन्द भंडारण, कार्गो ट्रांजिट अवधि में भण्डारण अनुकूल स्थिति, सामग्री प्रबन्धन उपकरण तथा व्यापार एवं व्यावसायिक सुविधाएं एवं कॉमन सुविधाएं।
- **सहायक अवस्थापना सुविधाएं**- पार्क की आवश्यकताओं के अनुसार अवस्थापना सुविधाएं यथा-आन्तरिक सड़क मार्ग, संचार सुविधाएं, खुला तथा हरित स्थान, जल आपूर्ति तंत्र (वाटर पाइप-लाइन्स), सीवेज एवं ड्रेनेज प्रणाली, डिस्पोजल सुविधाएं, विद्युत वितरण व्यवस्था की स्थापना, फीडर, सौर ऊर्जा पैनल्स इत्यादि।

भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स अवस्थापना के रूप में लॉजिस्टिक्स इकाइयों की परिभाषा का अनुसरण करते हुए यह नीति निम्नलिखित मानदण्डों को पूर्ण करने वाली लॉजिस्टिक्स इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी-

2. **कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी.एफ.एस.) अथवा अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो (आईसीडी)**, जिसमें न्यूनतम रु. 50 करोड़ का निवेश किया गया हो तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 10 एकड़ हो।
3. **वेयरहाउसिंग सुविधा**, जिसमें न्यूनतम रु. 25 करोड़ का निवेश किया गया हो तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग फीट हो।
- कोल्डचेन सुविधा**, जिसमें न्यूनतम रु. 15 करोड़ का निवेश किया गया हो तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 20,000 वर्ग फीट हो।

(2) प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities) की अनुमन्यता संबंधी मैट्रिक्स में 'औद्योगिक' उपयोग के अन्तर्गत एक नयी उपश्रेणी "उ0प्र0 वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति-2018 (यथा संशोधित) में परिभाषित लाजिस्टिक्स पार्क तथा लाजिस्टिक्स इकाइयों" सम्मिलित करते हुए विभिन्न भू-उपयोगों में इसकी अनुमन्यता निम्नवत् सम्मिलित किया जाना :-

| उ0प्र0 वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति-2018 (यथा संशोधित) में परिभाषित लाजिस्टिक्स पार्क तथा लाजिस्टिक्स इकाइयों की अनुमन्यता | भू-उपयोग जोन्स | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|--------------|---------------|-------------------------|
| | निर्मित क्षेत्र | आ. | व्यव. | ल.उ. | वृ.उ. | कार्या. | सुवि. | पार्क | हरित पट्टिका | ग्रामीण आबादी | कृषि |
| | निषिद्ध | निषिद्ध | अनुमन्य | अनुमन्य | अनुमन्य | विशेष अनुमति से अनुमन्य | निषिद्ध | निषिद्ध | निषिद्ध | निषिद्ध | विशेष अनुमति से अनुमन्य |

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-689(2)/2021/8-3099/91/2019-तददिनांक

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दिनांक 02.06.2021 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करायें तथा गजट की मुद्रित 10-10 प्रतियां सम्बन्धित अधिकारियों एवं शासन को 100 प्रतियां उपलब्ध करायी जाए।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या-689(3)/2021/8-3099/91/2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष/आयुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
2. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र उ0प्र0।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।